"That the following amendments made by Lok Sabha in the Payment of Wages (Amendment) Bill, 2004, be taken into consideration, namely:-

"ENACTING FORMULA page 1, line

1, for "Fifty-fifth", *substitute* "Fifty-sixth"

CLAUSE-1 2, Page 1, line

3, for *"2004" substitute* "2005"

The question, was put and the motion was adopted.

SHRI A. NARENDRA: Sir, I beg to move:

"That the Amendments made by Lok Sabha in the Bill be agreed to."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 2' O clock.

The House then adjourned for lunch at thirty-two minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at one minute past two of the clock,

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

PAPERS LAID ON THE TABLE (Contd.)

Statement on Quaterly Review of Trends in receipts and expenditure under Fiscal Responsibility and Budget of Management Act. 2005

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Sir, I lay on the Table, under sub-sectic

of section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Manangement Act, 2003 a copy (in English and Hindi) of the Statement on Quarterly review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the first quarter of the financial year 2005-2006.

[Placed in Library See No. LT.- 2395/05

The National Rural Employment Guarantee Bill, 2005

ग्रामीण विकास मंत्री (**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह**) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके अवयएक सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, कम से कम सौ दिनों का गांरटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध करा करा कर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषगिक विषयों का उलबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

उपसभापति जी, सबसे पहले मैं आपके प्रति आधार व्यक्त करता है और मैं अपने UPA के तमाम साथियों की तरफ से आम जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस ऐतिहासिक विधेयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी विधेयक को यहां विचार और पारित करने के लिए अपनी सहमति दी है। इसके लिए हम आपके प्रति आभारत व्यक्त करते है।

उपसभापति जी, आज का दिन ऐतिहासिक है, इसलिए कि आज सदन में इस विधेयक को पारित करने का दिन आ गया हूं। मैं देख रहा हूं कि पिछली 18 तारीख को लोकसभा में यह विधेयक इसी तरह से विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत हुआ था, फिश्र 19 तारीख को रक्षा-बंधन था, 20 तारीख को स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयन्ती को देश भर के लोगों ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाया और आज 24 तारीख को इस ऐतिहासिक विधेयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी विधेयक को पारित करने का दिन है। इस देश के लिए यह सत्पात बड़ा ही ऐतिहासिक है, तमाम जनता के लिए और खास करके गरीबों के लिए भी यह ऐतिहासिक है।

उपसभापति जी, यह जो विधेयक है, इसका एक इतिहास है। UPA के तमाम नेताओं ने बैठकर नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। एक से एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, ज्ञानी विज्ञान, सभी लोगों ने जुट करके नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का काम किया ताकि देश की 100 करोड़ से अधिक आबादी की, जनता की आकांक्षओं की पूर्ति हो सके हम लोगों का जो नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, UPA के लोगों ने भी इसकी प्रशंसा की है।